न्यायालय अति. कलक्टर एवं अति जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी -- नरेश बुनकर, RAS

(91)

अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 03/2021
Gems reg. No. 2021/54

प्रार्थी :–		अप्रार्थी :–
पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा	बनाम	श्री नरसिंह पिता भग्गाजी बंजारा निवासी सिन्टेक्स मील के पास, बंजारा बस्ती, खान्दुकोलोनी, बॉसवाडा (राज.)

निर्णय

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

दिनांक :– 10.05.2022

1- पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा द्वारा गैर सायल श्री नरसिंह पिता भग्गाजी बंजारा निवासी सिन्टेक्स मील के पास, बंजारा बस्ती, खान्दुकोलोनी, बॉसवाडा (राज.) के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत एक इस्तगासा प्रस्तुत कर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 03 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावे।

2- पुलिस अधीक्षक, जिला बांसवाडा द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार निम्नांकित आधारों पर गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है :–

1. प्रथम सूचना क्रमांक 215/2008 अन्तर्गत धारा 16/54 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री नरसिंह के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बॉसवाडा से दिनांक 05–08–2008 को जरिये फौजदारी प्रकरण संख्या 316/2008 से दोषसिद्ध किया जाकर अपराधी परीविक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत एक वर्ष के लिये प्रतिभूति सहित 1000 रु. के बन्ध पत्र पर शान्ति एवं सदाचार बनाये रखने एवं अपराध की पुनरावृति नही करने की शर्त पर तथा परीविक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत न्यायालय में 50 रु के अभियोजन व्यय से दण्डित किया गया।
2. प्रथम सूचना क्रमांक 30/09 अन्तर्गत धारा 16/54 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज किया जाकर बाद अनुसधान गैर सायल श्री नरसिंह के विरूद्ध आरोप पत्र धारा 16/54 में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बॉसवाडा से दिनांक 03–02–2009 को जरिये फौजदारी प्रकरण संख्या 89/2009 से से दोषसिद्ध किया जाकर अपराधी परीविक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत एक वर्ष के लिये प्रतिभूति सहित 1000 रु. के बन्ध पत्र पर शान्ति एवं सदाचार बनाये रखने एवं अपराध की पुनरावृति नही करने की शर्त पर तथा परीविक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत ... अभियोजन व्यय से दण्डित किया गया।
3. प्रथम सूचना क्रमांक 221/09 अन्तर्गत धारा 16/54 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री नरसिंह के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.05.30 10:58:38 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

प्रस्तुत किया गया, जहां से माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बॉसवाडा से दिनांक 06-07-2009 को जरिये फौजदारी प्रकरण से दोषसिद्ध किया जाकर अपराधी परीविक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत एक वर्ष के लिये प्रतिभूति सहित 1000 रू. के बन्ध पत्र पर शान्ति एवं सदाचार बनाये रखने एवं अपराध की पुनरावृति नही करने की शर्त पर तथा परीविक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत न्यायालय में 100 रु के अभियोजन व्यय से दण्डित किया गया।

4. प्रथम सूचना क्रमांक 409/09 अन्तर्गत धारा 16/54 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री नरसिंह के विरूद्ध आरोप पत्र धारा 16/54 में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बॉसवाडा से दिनांक 01-12-2009 को जरिये फौजदारी प्रकरण संख्या 448/2009 से दोषसिद्ध किया जाकर अपराधी परीविक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत एक वर्ष के लिये प्रतिभूति सहित 1000 रू. के बन्ध पत्र पर शान्ति एवं सदाचार बनाये रखने एवं अपराध की पुनरावृति नही करने की शर्त पर तथा परीविक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत न्यायालय में 100 रु के अभियोजन व्यय से दण्डित किया गया।

5. प्रथम सूचना क्रमांक 130/2011 अन्तर्गत धारा 16/54 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री नरसिंह के विरूद्ध आरोप पत्र धारा 16/54 में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बॉसवाडा से दिनांक 02-02-2013 को जरिये फौजदारी प्रकरण संख्या 246/2011 से दोषसिद्ध किया जाकर अपराधी परीविक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत एक वर्ष के लिये प्रतिभूति सहित 2000 रु. के बन्ध पत्र पर शान्ति एवं सदाचार बनाये रखने एवं अपराध की पुनरावृति नही करने की शर्त पर तथा परीविक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत न्यायालय में 160 रु के अभियोजन व्यय से दण्डित किया गया।

6. प्रथम सूचना क्रमांक 397/2011 अन्तर्गत धारा 16/54 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री नरसिंह के विरूद्ध आरोप पत्र धारा 16/54 में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बॉसवाडा से दिनांक 05-11-2012 को जरिये फौजदारी प्रकरण संख्या 452/2011 से दोषसिद्ध किया जाकर अपराधी परीविक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत एक वर्ष के लिये प्रतिभूति सहित 2000 रु. के बन्ध पत्र पर शान्ति एवं सदाचार बनाये रखने एवं अपराध की पुनरावृति नही करने की शर्त पर तथा परीविक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत न्यायालय में 440 रु के अभियोजन व्यय से दण्डित किया गया।

7. प्रथम सूचना क्रमांक 466/2013 अन्तर्गत धारा 16/54 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री नरसिंह के विरूद्ध आरोप पत्र धारा 16/54 में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बॉसवाडा से दिनांक 10-02-2015 को जरिये फौजदारी प्रकरण संख्या 24/2014 से दोषसिद्ध किया जाकर अपराधी परीविक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत एक वर्ष के लिये प्रतिभूति सहित 1000 रु. के बन्ध पत्र पर शान्ति एवं सदाचार बनाये रखने एवं अपराध की पुनरावृति नही करने की शर्त पर तथा परीविक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत न्यायालय में 500 रु के अभियोजन व्यय से दण्डित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.05.30 10:58:38 IST
Reason: Self Attested

8. प्रथम सूचना क्रमांक 77/19 अन्तर्गत धारा 16/54 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज किया जाकर जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री नरसिंह के विरूद्ध आरोप पत्र धारा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

16/54 में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो वर्तमान में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बॉसवाडा के न्यायालय में लम्बित है।

9. इस प्रकार गैरसायल श्री नरसिंह पिता भग्गाजी बंजारा निवासी सिन्टेक्स मील के पास, बंजारा बस्ती, खान्दुकोलोनी, बॉसवाडा (राज.) जो अवैध शराब व्यापार करने पर कुल 8 प्रकरण दर्ज होकर 7 प्रकरणो में दोषसिद्ध ठहराया जाकर सजायाब हुआ है, 1 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। अतः गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत् कार्यवाही करने निवेदन किया।

3- इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये समन तलब किया गया।

4- गैरसायल की ओर से अभिभाषक श्री आकाश पटेल द्वारा वकील पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 07-12-2021 को जवाब प्रस्तुत किया गया कि :-

1. गैरसायल किसी गैंग के सदस्य का नेता नही है ना ही आदतन आरोपी है ना ही अपराध करने के लिये अन्य लोगो को दुष्प्रेरित करता है तथा ऐसा कोई आपराधिक प्रकरण नही है जिसमें किसी को क्षति पहुचाई हो, मारपीट की हो या छीना झपटी की हो।
2. गैरसायल ने किसी प्रकार का ऐसा अपराध नही किया है जिसमें सम्पत्ति को चेतावनी, खतरा या नुकसानी उत्पन्न हो और न ही ऐसा कोई अपराध किया है या ऐसे किसी अपराध में भाग लिया है। गैर सायल के विरुद्ध 5 प्रकरण लोक अदालत की भावना से फैसल हो चुके है तथा सजा का समय भी निकल चुका है। इस प्रकार उक्त सभी मुकदमे राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अधीन गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही नही चल सकती है।
3. गैरसायल आरोप सार को नकारता है तथा अनवीक्षा चाहता है एवं गवाहान से जिरह करना चाहता है तथा अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करना चाहता है, जिसकी अनुमति न्यायहित में आवश्यक है।
4. पॉच मुकदमो में आज से 8-9 वर्ष पूर्व आप न्यायालय द्वारा फैसल हो चुके है दोबारा उनही मुकदमो में आप न्यायालय में कार्यवाही नही हो सकती है।

5- दिनांक 26.04.2022 को गवाह श्री मुकेश एच.सी. 805 के बयान पी.डब्लू.1, श्री शैलेन्द्र सिंह कनि. 367 के बयान पी.डब्लू.2, व श्री विवेक भान सिंह सउनि. के बयान पी.डब्लू.3 पर कलम बद्ध किये गये। जिरह हेतु विपक्षी अभियुक्त स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। तीन बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नही हुए।

6- दिनांक 09.03.2022, 05.04.2022, 26.04.2022, 02.05.2022, 10.05.2022 को गैरसायल अथवा उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहे है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। इस्तागासे के संलग्न दस्तावेजो के अनुसार गैरसायल अवैध शराब का व्यवसाय पर धारा 16/54 आबकारी अधिनियम में कुल 8 प्रकरण दर्ज होकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने पर बाद ट्रायल सात प्रकरणों में दोष सिद्ध ठहराया जाकर जुर्माना एवं परिवीक्षा से दण्डित हुआ है। अतः प्रकरण में किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती है। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में "पॉच मुकदमो में आज से 8-9 वर्ष पूर्व आप न्यायालय द्वारा फैसल हो चुके है दोबारा उनही मुकदमो में आप न्यायालय में कार्यवाही नही हो सकती है"के सन्दर्भ में अभियुक्त [illegible] अधिवक्ता को पर्याप्त अवसर प्राप्त होने के पश्चात् भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया [illegible] किया। गैर सायल के विरुद्ध

6- हमने पत्रावली तथा उसमें संलग्न [illegible] अवलोकन किया। गैर सायल के विरुद्ध अवैध शराब व्यापार करने पर कुल 8 प्रकरण दर्ज होकर [illegible] प्रकरणो में दोषसिद्ध ठहराया जाकर सजायाब हुआ है एवं दोष सिद्ध ठहराया जाकर जुर्माना एवं परिवीक्षा से दण्डित हुआ है। 1 प्रकरण न्यायालय में

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.05.30 10:58:38 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत समुचित अभिलेखीय साक्ष्य से आरोप स्पष्ट रूप प्रमाणित होता है।

102

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत् गैरसायल श्री नरसिंह पिता भग्गाजी बंजारा निवासी सिन्टेक्स मील के पास, बंजारा बस्ती, खान्दुकोलोनी, बॉसवाडा (राज.) को जिला बॉसवाडा से तीन माह के लिये निष्कासित किया जाता है। गैर सायल उक्त तीन माह की अवधि में जिला बॉसवाडा में विचरण नहीं करेगा एवं न ही पुनः प्रवेश करेगा। इस अवधि में गैरसायल जिला प्रतापगढ के तहसील क्षेत्र, पीपलखुंट में निवास करेगा एवं थानाधिकारी पीपलखुंट को अपनी उपस्थिति नियमित रूप से दर्ज करावेंगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, बॉसवाडा एवं पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ को भेजी जावे। यह आदेश दिनांक 20.05.2022 से प्रभावी होगा। यदि गैरसायल के विरूद्ध कोई प्रकरण जिला बॉसवाडा में स्थित किसी न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेशी पर उपस्थित हो सकेगा, परन्तु इसके पूर्व गैर सायल को इस न्यायालय एवं संबंधित थाना प्रभारी को लिखित मे सूचना देनी होगी। न्यायालय में पेशी होने के तुरन्त पश्चात् इस न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

10/05/2022

(नरेश बुनकर)
अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.05.30 10:58:38 IST
Reason: SelfAttested